उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-56/2016/505/अड़तीस-9-16-500(17)/2012

लखनऊ : दिनांक-30 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश विषयक जारी शासनादेश संख्या-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12, दिनांक-12.02.2013 के पृष्ठांकन में निम्नवत् अंकन हुआ है:-

संख्या-30(1)/अड़तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
15- गार्डबुक।

2- उक्त को संशोधित करते हुये शासनादेश संख्या-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12, दिनांक-12.02.2013 के पृष्ठांकन को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

संख्या-30(1)/अड़तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

14- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

15- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

16- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

17- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3

18- गार्डबुक।

3- शासनादेश संख्या-30/अड़तीस-9-13-500(17)/12, दिनांक-12.02.2013 में निर्धारित व्यवस्थायें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-12.02.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-56/2016/505(1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।

4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उक्त शासनादेश दिनांक-12.02.2013 की प्रति सहित।

7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।

8- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद।

9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

10- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

11- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त शासनादेश दिनांक-12.02.2013 की प्रति सहित।

12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त शासनादेश दिनांक-12.02.2013 की प्रति सहित।

13- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

14- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

15- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

16- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

17- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3

18- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in